05.03.24

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित.
अधिवक्ता के अभ्यर्थीगण की नामी
आवेदन तक नहीं करवाई है प्रार्थी
अधिवक्ता की नामी नहीं करवाने पर
दिनांक 18.02.24 को आदेश निरस्त करने की
के तहत कार्यवाही करने की दिशायें दी जाने की
परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता के अभ्यर्थियों की
नामी हेतु नोटिस जारी किया नहीं किया
अतः प्रकरण में आदेश निरस्त करने की
के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण वर्तमान
स्टेज पर प्रारित किया जाकर प्रार्थी
नस्तीबद्ध हो। पश्चात समय पर निकाय
द्वारा केस की जाकर निर्णयार्थ
मेरा आभार।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 10:56:30 IST
Reason: SelfAttested